यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्साजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रतीराम बनाम धनसी मु.नं.– 27/25 किस्म – T.D.	

11.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं. 01 लगा 04 की लिखित रूप से तामील हो चुकी है। तामील उपरान्त पर्याप्त समय के उपरान्त भी इनके द्वारा जवाब प्रा.पत्र T.D. पेश नहीं किया। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रा.पत्र T.D. पर बहस हेतु वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया। प्रा.पत्र T.D. पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.D. दिनांक 28.11.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

28/11/25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30.12.25 को पेश हो।

30.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.02.26 को पेश हो।

17.02.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र ~~अन्तर्गत~~ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलसजज	नम्ब अहल की हुए
	रतीराम बनाम घनसी मु.नं.– 27/25 किस्म – T.E.	
	पृष्ठ से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
27 / 2025	20.03.2025	17.02.2026

बउनवान

1. रत्तीराम पुत्र रामफूल, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. कमलेश पुत्र रामफूल, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. हरिराम पुत्र रामफूल, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. बलराम पुत्र शिवचरण, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण / सायलान

बनाम

1. धनसी पुत्र खिल्लीराम, निवासी मालीबास भूडा, तहसील रैणी, अलवर।
2. गिर्राज पुत्र बीरबल, निवासी मालीबास भूडा, तहसील रैणी, अलवर।
3. अमरसिंह पुत्र मूल्याराम, निवासी मालीबास भूडा, तहसील रैणी, अलवर।
4. भोलाराम पुत्र बल्लाराम, निवासी मालीबास भूडा, तहसील रैणी, अलवर।

..अप्रार्थीगण / गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री मुकेश सिंह।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 – श्री प्रीतमचन्द सैनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजी खसरा सं. 77 / 709 रकबा 0.17 हैक्टे. ग्राम सरावली, तहसील मण्डावर में स्थित है जिसमे प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण के पास अपने परिवार के पालन पोषण का यही एक मात्र सहारा है जिसमें प्रार्थीगण फसल पैदा कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की भूमि से अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 का किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। उक्त भूमि पूर्वजो के समय से प्रार्थीगण के कब्जे में चली आ रही है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 जबरन उक्त भूमि पर अवैध माप से कब्जा करना चाहते है, प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि को हडपना चाहते है एवं प्रार्थीगण की उक्त भूमि के बाद में आम सडक मंडावर भूडा मोड़ से भूडा को जाने वाली सडक स्थित है जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। उक्त सडक की भूमि के लगवा ही प्रार्थीगण की भूमि है जिससे अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है लेकिन सभी अप्रार्थीगण भू माफिया व्यक्ति है जो प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की बेशकीमती भूमि पर जबरन कब्जा कर जमीन को हडपना चाहते है जिससे प्रार्थीगण से फौजदारी झगड़ा करने पर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आमादा रहते है। प्रार्थीगण दिनांक 16.03.2025 को विवादित आराजी में फसल की देखभाल कर रहा था कि उसी समय अप्रार्थीगण अपने साथ अन्य बदमाश भू माफिया व्यक्तियों को एवं साथ मे जेसीबी लेकर आये एवं प्रार्थीगण की भूमि में जबरन नीव खोदने लगे प्रार्थीगण ने मना किया तो ऐलानिया धमकी देने लगे कि हम बहुत खूंखार लोग है, तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहा से भाग जाओ हम सडक के किनारे दुकान बना कर रहेंगे एवं ज्यादा नेतागिरी करोगे तो मारे जाओगे एवं तुमको इस जमीन से बेदखल करके हम सड़क के किनारे कब्जा करके रहेंगे। हमारे उपर बहुत से केस मुकदमे लगे हुए है। केस मुकदमो की हम परवाह नहीं करते है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते एवं उसी समय प्रार्थीगण को जान से मारने के लिए देशी कट्टे निकाल कर लहराने लगे मौके पर बहुत से व्यक्तियों की भीड़ जमा हो गई थी। प्रार्थीगण के गॉव के भी बहुत से लोग आ गये जिन्होंने प्रार्थीगण को बचा लिया। यदि अप्रार्थीगण दी गई ऐलानिया धमकी में सफल हो गए तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया है। प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2025 को अप्रार्थीगण द्वारा अपने साथ में अन्य बदमाश गुण्डे भू माफिया व्यक्तियों को लेकर एवं जेसीबी मशीन लेकर प्रार्थीगण की उक्त विवादित भूमि में आ गये एवं आते ही प्रार्थीगण को एलानिया धमकी देने से ग्राम सरावली तहसील मंडावर जिला दौसा में पैदा हुआ है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला पूरी तरह से साबित है एवं यदि अप्रार्थीगण अपने द्वारा दिनांक 16.03.2025 को दी गई धमकी में सफल हो गए तो प्रार्थीगण अपनी पैतृक सम्पत्ति खातेदारी भूमि से वंचित हो जायेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ता दावा फैसला इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाये कि वो प्रार्थीगण की विवादित आराजी में स्थित भूमि के लगवा ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की महक है, उन भूमि में अप्रार्थीगण जबरन कब्जा नही करें, नीव खोदकर किसी प्रकार का पुख्ता दुकानों का निर्माण कार्य नही करे प्रार्थीगण को स्वयं की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नहीं करे एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि की मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्द रहे।

2. विद्वान प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 20.03.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी में मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 04 ने न्यायालय कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर जबाव का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार, प्रार्थीगण विवादित आराजी के दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है जबकि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के खातेदार नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी में वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 77/709 रकबा 0.17 हैक्टे. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.03.2025 को प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से रूकावट, मजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करे तथा मौके की स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)